अखिलेश यादव

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ

सम्मानित गुरूजन,

इस पत्र के प्राप्त होने तक नये शिक्षण सत्र में पठन–पाठन का दौर प्रारम्भ हो चुका होगा।

2– छात्रों को सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होती है। इसी कारण कक्षा–1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को 02 चरणों में दिनांक 5 एवं 20 जुलाई, 2012 को नई पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण दिनांक 30 जुलाई, 2012 को कराया जायेगा। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है कि समय से सभी पाठ्यपुस्तकें विद्यालय में आपको उपलब्ध हो जायें। इसके अलावा पहली बार कक्षा–1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को, बगैर जाति, वर्ग, धर्म, का भेद किये, 02 सेट स्कूल यूनिफार्म निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था बजट में की जा चुकी है और 02 अक्टूबर, 2012 को प्रदेश के सभी विद्यालयों में सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है। मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन शैक्षिक सत्र के आरम्भ से ही उपलब्ध कराने हेतु सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

3– यह भी व्यवस्था की जा रही है कि शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होते ही सभी विद्यालयों को देय 'विद्यालय विकास अनुदान' 'विद्यालय अनुरक्षण अनुदान' तथा 'शिक्षक अनुदान' की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में विलम्बतम 31 जुलाई, 2012 तक हस्तान्तरित कर दी जाय। इससे विद्यालय में पठन–पाठन के उपयुक्त माहौल को बनाने में आपको मदद मिलेगी।

4– आप अवगत हैं कि **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** द्वारा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक–बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को आवश्यक शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का हक दिलाने हेतु कृत–संकल्प है।

5– इस दिशा में जुलाई माह में **'स्कूल चलो अभियान'** पूरे प्रदेश में संचालित किया जाना है, जिसमें आपसे यह अपेक्षा है कि आप प्रत्येक घर में जाकर 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ–साथ अगस्त माह में *'आउट ऑफ स्कूल'* बच्चों को चिन्हांकित करने का कार्य सम्पादित किया जाना है, ताकि तदुपरांत उन्हें नामांकन कराकर आयु संगत नियमित कक्षा में शामिल कराया जा सके। प्रदेश में 'शिक्षा का हक अभियान' भी प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष चलाया जाना है, जिससे प्रत्येक विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानानुसार

कमियों को इंगित करते हुए अगले 01 वर्ष में दूर करने हेतु प्रेरित किया जा सके। आप सहमत होंगे कि सभी विद्यालयों में, चाहे वह सरकारी हों अथवा गैर सरकारी, प्रशिक्षित अध्यापकों की पर्याप्त संख्या में तैनाती एवं नियमित उपस्थिति तथा मूलभूत सुविधाओं यथा–कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय आदि सुविधाओं के उपलब्ध होने की दशा में ही विद्यालयों में पठन–पाठन का उपयुक्त माहौल बन सकेगा।

6– सभी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानानुसार **विद्यालय प्रबन्ध समिति** का गठन किया गया है, जिसके 15 सदस्यों में से 11 अभिभावक हैं। आप सहमत होंगे कि अध्यापक, छात्र एवं उनके अभिभावक शैक्षणिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इनकी सहभागिता से ही विद्यालयों को जीवन्त स्थान बनाया जा सकता है जहां जोर रहे, बच्चों को प्यार से समझाते हुए अनुशासन में बाँधने पर तथा मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्रदान करने पर शिक्षण क्षेत्र में मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना का कोई स्थान नहीं है। यह आवश्यक है कि आप बच्चों को रटने की बजाय समझने की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु प्रेरित करें।

7– वर्ष 2011–12 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की औसत उपस्थिति लगभग 57 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 17 प्रतिशत कम है। यह स्थिति नितान्त असंतोषजनक है। **हमें इस वर्ष यह प्रयास करना चाहिए कि छात्रों की औसत उपस्थिति को कम–से–कम राष्ट्रीय औसत (74 प्रतिशत) के बराबर लायें।**

8– विगत वर्षों में सरकार ने बड़ी धनराशि व्यय कर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, बाउन्ड्रीवाल एवं शौचालय का निर्माण कराया है एवं पेयजल सुविधा भी सभी विद्यालयों में उपलब्ध हो गयी है। शौचालयों का सही रख–रखाव एवं छोटे बालक–बालिकाओं को शौचालयों का सही ढंग से प्रयोग करने की विधि बताना भी आपका दायित्व है।

9– प्रदेश सरकार ने वेतन/जी0पी0एफ0/पेंशन भुगतान में आपको होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है कि पूरी व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत की जाय तथा आपके खाते में वेतन के हस्तांतरण होते ही आपके मोबाईल पर आपको अलर्ट मिल जाय। इसी प्रकार **बेसिक शिक्षा परिषद के सभी पेंशनरों को राजकीय पेंशनर की भांति कोषागार से पेंशन वितरण सुनिश्चित कराने का भी निर्णय लिया गया है।** प्रदेश सरकार ने आपके सभी प्रकार के बकायों के भुगतान हेतु इस वर्ष के बजट में लगभग 3800 करोड़ रूपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है और हमारा यह प्रयास है कि आपके सभी लम्बित बकायों का भुगतान अगले 03 माह के अंदर करा दिया जाय।

10– आप में से कई अध्यापक, विशेषकर महिला अध्यापक, अपने परिवार तथा गृह जनपद से दूर तैनात हैं। इसी कारण अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु लगभग 50,000 आवेदन प्राप्त हुए थें। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाले बिना आपके अनुरोध को यथासंभव शीघ्र स्वीकार करते हुए आपकी समस्या का समाधान किया जाय, ताकि आप अधिक मनोयोग से शिक्षण का कार्य कर सकें। सभी शिक्षा मित्रों को अगले 03 वर्षों में प्रशिक्षणोंपरान्त सहायक

अध्यापक के रिक्त पदों पर समायोजित करने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि अब निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी आपको न सौंपी जाय तथा आपको राष्ट्रीय महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों यथा–चुनाव, जनगणना तथा प्राकृतिक आपदा को छोड़कर किसी और कार्य में न लगाया जाय।

11– आप सहमत होंगे कि विगत 03 माह में प्रदेश सरकार ने आपकी समस्याओं को यथासंभव दूर करने का भरसक प्रयास किया है। हमारी आपसे यह अपेक्षा है कि आप विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित हों एवं पठन–पाठन का कार्य करें। आपकी नियमित उपस्थिति से छात्रों की उपस्थिति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और अभिभावकों को यह विश्वास होगा की परिषदीय विद्यालयों में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

मुझे उम्मीद ही नहीं वरन् विश्वास है कि प्रदेश के विकास हेतु नई पीढ़ी के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और करोड़ों छात्र–छात्राओं को निःशुल्क गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय संकल्प की पूर्ति में सहयोग करेंगे।

भवदीय

(अखिलेश यादव)

23/5/12

समस्त प्रधानाध्यापक/अध्यापक,
समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय,
उत्तर प्रदेश।